



## कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

### प्रेस नोट

- उदयपुर में सहायक अभियन्ता, अजमेर डिस्कॉम को 10 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार
- टोंक में शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बडौदा को उसके दलाल सहित 10 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार
- आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी

जयपुर, 22 मार्च। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की विभिन्न टीमों द्वारा राज्य में दो स्थानों पर कार्यवाही करते हुये आज सोमवार को उदयपुर में सहायक अभियन्ता, अजमेर डिस्कॉम महेश गुप्ता को 10 हजार रुपये रिश्वत लेते तथा टोंक में शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बडौदा, शाखा-बनेठा सुरेन्द्र सिंह भालोट को उनके दलाल ए.टी.एम. गार्ड दुल्लीराम को 10 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की प्रतापगढ़ इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि सोलर पावर प्लांट की फाईल निकालने एवं पावर बढ़ाने की एवज में अजमेर डिस्कॉम के सहायक अभियन्ता, वृत्त-मादडी, उदयपुर महेश गुप्ता द्वारा 15 हजार रुपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है। जिस पर एसीबी की प्रतापगढ़ इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री गोवर्धन लाल खटीक के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम के द्वारा मादडी, उदयपुर में ट्रेप कार्यवाही करते हुये अजमेर डिस्कॉम के सहायक अभियन्ता, वृत्त-मादडी, उदयपुर महेश गुप्ता को परिवादी से 10 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

इसी प्रकार श्री सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की स्पेशल यूनिट, अजमेर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके द्वारा आवेदित ऋण की सीमा बढ़ाने की एवज में बैंक ऑफ बडौदा, शाखा-बनेठा के शाखा प्रबन्धक सुरेन्द्र सिंह भालोट द्वारा अपने दलाल ए.टी.एम. गार्ड दुल्लीराम के माध्यम से 10 हजार रुपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है। जिस पर एसीबी की स्पेशल यूनिट के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री भोलाराम यादव के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज पुलिस निरीक्षक श्री राकेश वर्मा एवं उनकी टीम के द्वारा टोंक में ट्रेप कार्यवाही करते हुये बैंक ऑफ बडौदा, शाखा-बनेठा के शाखा प्रबन्धक सुरेन्द्र सिंह भालोट द्वारा अपने दलाल ए.टी.एम. गार्ड दुल्लीराम के माध्यम से परिवादी से 10 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाइन नं. 1064 एवं Whatsapp हैल्पलाइन नं. 94135-02834 पर 24x7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।